



05⁶/₂₄ आज पत्रा पेश करे। कोई भी उप
नहीं आये। अपीलकर्ता व उनके वकील
को बार-बार आवाज लगाते गए। कोई भी
उप नहीं आया। ना ही अपीलकर्ता से संबंधी
कुछ तबकाने उप किए जा रहे हैं जिस
कारण में अपीलकर्ता का विवाह आयु
में कोई रुक प्रारं नहीं होने प्रक करवाती
आर। अपील के 09/05 में खासि किदा
जाता है। पत्रावली केवल हुमा सिद्ध गवर
केकत है। बाद प्रारं  

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपल्ली-बहरोड़)